प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
मुख्य ब्रांच, नई दिल्ली।

संख्या 3898/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 19 अप्रैल,2024

विषय :– ओ0ए0– 274/2022, प्रेम अग्रवाल एवं अन्य बनाम एन0सी0टी0 एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश. दिनांक 15–02–2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो साहिबाबाद ड्रेन, इन्दिरापुरी एवं बंथला कैनाल ड्रेन के उत्प्रवाह के सम्बन्ध में है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश में अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में गाजियाबाद नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एवं सिचाई विभाग की ओर से अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 30–04–2024 तक उपलब्ध करायें।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में गाजियाबाद नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सिचाई विभाग की ओर आख्या उपलब्ध करायी गयी है। सम्बन्धित विभागो की प्राप्त मूल आख्याओ सहित श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली के समक्ष निर्धारित को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

प्रतिलिपि :–

श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 30–04–2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में समय से उपस्थित होकर सम्बन्धित प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

☎-0120-2820420
E.mail Id.- ypcuupjn@ymail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),

सी–9, सै0–1, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद–201001

पत्रांक 477 / विविध-2 / 09 दिनांक 09.04.24

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–274/2022 Prem Aggarwal & Ors Govt. of NCT of Delhi & Ors. में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या एन0जी0टी0–105/नौ–5–2024–01रिट/2023 नगर विकास अनुभाग–5 दिनांक 27.03.2024 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–274/2022 Prem Aggarwal & Ors Govt. of NCT of Delhi & Ors. में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 की वांछित अनुपालन आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
4. महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।

अधिशासी अभियन्ता

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 274/2022 प्रेम अग्रवाल एवं अन्य बनाम गवर्मेन्ट ऑफ दिल्ली एवं अन्य में दिनांक 15.02.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में गाजियाबाद नगर निगम के साहिबाबाद ड्रेन व लोनी नगर पालिका परिषद के इन्दिरापुरी एवं बन्थला कैनाल ड्रेन के सम्बन्ध में आख्याः—

साहिबाबाद ड्रेन (गाजियाबाद नगर निगम) :—

साहिबाबाद ड्रेन गाजियाबाद दिल्ली के भौपुरा बॉर्डर के पास तुलसी निकेतन से प्रारम्भ होती है और नोएडा में चीला रेगुलेटर के पास गाजीपुर ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में मिलती है। साहिबाबाद ड्रेन में गाजियाबाद के तुलसी निकेतन, शहीद नगर, शालीमार गार्डन, करहेड़ा, राजेन्द्र नगर, ब्रज विहार, साहिबाबाद इडिस्ट्रियल एरिया, कौशाम्बी, वैशाली इत्यादि क्षेत्रों के अशोधित उत्प्रवाह का निस्तारित हो रहा है।

साहिबाबाद ड्रेन के अशोधित उत्प्रवाह को एन0एच0—24 के निकट आई0एण्ड डी0 के माध्यम से 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 इन्दिरापुरम पर डायवर्ट कर शोधन किया जा रहा है।

वर्तमान में अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गाजियाबाद सीवरेज योजना (करहेड़ा जोन) के अन्तर्गत 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है। साहिबाबाद ड्रेन के कैच्मेन्ट क्षेत्र के भौपुरा, कुटी, शालीमार गार्डन, पसौंडा एवं इत्यादि क्षेत्रों का जनित सीवेज जोकि वर्तमान में साहिबाबाद ड्रेन में निस्तारित हो रहा है, को उक्त एस0टी0पी0 पर शोधित किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त वर्णित एस0टी0पी0 के कियान्वयन के उपरान्त साहिबाबाद ड्रेन में लगभग 15—20 एम0एल0डी0 अशोधित श्राव उत्प्रवाहित होना बन्द हो जायेगा।

इन्दिरापुरी एवं बन्थला कैनाल ड्रेन (लोनी नगर पालिका परिषद) :—

नगर पालिका परिषद, लोनी का अशोधित श्राव इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के माध्यम से शाहदरा ड्रेन में निस्तारित होता है। इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के इन्टरसेप्शन एवं डायावर्जन हेतु डी0पी0आर0 परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या 501/0032/एस0एम0सी0जी0— यू0पी0/06 दिनांक 02.06.2020 द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। उक्त योजना के परीक्षण उपरान्त महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अपने पत्र संख्या Pr-11013/9/2019-O/o Dir(T-III), NMCG dated 08.07.2020 के माध्यम से सूचित किया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित इन्द्रपुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में प्रवाहित हो रहे सीवेज की बो0ओ0डी0 एवं सी0ओ0डी की मात्रा अप्रत्याशित रूप से अधिक होना उक्त ड्रेनों में घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह दर्शाता है। महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा इन्द्रपुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में बी0ओ0डी0 एवं सी0ओ0डी0 की अधिकता के दृष्टिगत उक्त नालों के इण्टरसेप्शन से पूर्व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में तत्कालीन महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या 1681/डी0पी0आर0 प्राक्कलन/27 दिनांक 19.10.2020 द्वारा सदस्य

सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित पत्र के माध्यम से स्पष्ट अभिमत न दिये जाने के कारण अपने स्तर से स्पष्ट अभिमत उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या 1704/सा0पत्रा0–227/2020 दिनांक 09.11.2020 के माध्यम से प्रस्तावित एस0टी0पी0 में सी0ओ0डी0 की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु सी0ओ0डी0 रिमूवल यूनिट को समावेशित करते हुए एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने का अभिमत प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत के क्रम में मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2624/आई0एण्डडी0 नमामि गंगे दिनांक 18.11.2020 के माध्यम से असहमति व्यक्त करते हुए घरेलू एवं औद्योगिक उत्प्रवाह को संयुक्त रूप से शोधन के स्थान पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना कराया जाना उचित बताया गया है।

उक्त के क्रम में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 825/022–0272(15)/2020 दिनांक 19.11.2020 द्वारा अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद एवं मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत से महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 1289/0557/एस0एम0सी0जी0–यू0पी0/01 दिनांक 28.12.2020 द्वारा कार्यकारी निदेशक (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उक्त अभिमत से अवगत कराया गया।

प्रतिउत्तर में महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपने पत्र संख्या Pr-11013/9/2019-O/o Dir(T-III), NMCG dated 15.02.2021 द्वारा विषयगत डी0पी0आर0 राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ को प्रत्यावर्तित करते हुए पत्र में निम्न उल्लेख किया गया है :–

1. As UPPCB has agreed with NMCG's observation that these drains have very high BOD and COD because of Industrial effluent getting mixed in the drains proposed to be intercepted and suggested to consider such high COD for design which will in turn convert proposed STP into CETP. Such high COD in design will have huge impact on capital and O&M cost of the plant.

2. NMCG is returning this DPR with advises to state to resolve non-compliant industrial discharge in storm water drains and/or propose a permanent solution to this problem. Even if STPs proposal is considered without resolving this issue, the STPs will not perform due to excessive industrial effluent ingress.

उपरोक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ महोदय ने अपने पत्रांक संख्या जी21/022–272(15)/2020 दिनांक 25.02.2021 द्वारा प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन से इन्द्रापुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में प्रवाहित हो रहे अशोधित औद्योगिक उत्प्रवाह को प्रतिबन्धित करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 यथा संशोधित 2021 की धारा–31(1) एवं धारा–37(1) के प्राविधानुसार नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय आदेश संख्या 1792/9–3–2021–05सी/2021 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 तत्कालीन उ0प्र0 जल निगम के अन्तर्गत कार्यालयों को उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के मध्य विभाजित

होने के फलस्वरूप इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के आई0एण्ड0डी0 कार्यों की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में कार्यवाही वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा ही की जानी है।

नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत सीवरेज व्यवस्था के 100 प्रतिशत कवरेज हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा CWAP प्रेषित कर दी गई है, योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये हैः–

1. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट – 01 नग (136 एम0एल0डी0)
2. सीवर नेटवर्क – 970 कि0मी0
3. सीवर गृह संयोजन – 144973 नग

(सी0एस0 सोलंकी)
अधीक्षण अभियन्ता,
निर्माण मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियबाद।

(अरूण प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियबाद।

(आर0के0 पंकज)
मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियबाद।

E/himanshu/w.w./E.E(jal)/GNN Pad

गाजियाबाद नगर निगम

प्रेषक,

महाप्रबन्धक (जल),
गाजियाबाद नगर निगम,
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांकः- 19 /एस0टी0-जी0एम0/2024-25 दिनांकः- 08/04/24

विषयः- सन्दर्भ-ओ0ए0 संख्या-274/2022 श्री प्रेम अग्रवाल एन्ड अन्य बनाम जीएनसीटीडी व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत विन्दु से सम्बन्धित कृत कार्यवाही निम्नवत हैः-

1- <u>74 एम0एल0डी0 पानी का एस0बी0आर0 तकनीक से उपचारः-</u> साहिबाबाद नाले का कुल प्रवाह लगभग 90 एम0एल0डी0 है। उक्त जलउपचार हेतु इन्दिरापुरम में एक नग 74 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 द्वारा अपनी पूरी अधिकतम क्षमता पर नियमित रूप से संचालित है। उक्त के रख-रखाव एवं उक्त का दैनिक रजिस्टर वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चेन्नई द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी नियमित जॉच उ0प्र0 नगर निगम द्वारा की जा रही है।

2- शेष 15 एम0एल0डी0 जल उपचार हेतु अन्तरितम उपचार तकनीको का प्रयोग कर प्रदूषण के भार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुछ इन्नोवेटिव प्रयास भी किये जा रहे है। साथ ही साथ स्थायी समाधान हेतु बचे सीवेज को स्थाई रूप से टैप करने के लिए उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूरे नगर निगम क्षेत्र की आई0एण्ड0डी0 योजना बनाकर शासन को भेजी गई है।

3- <u>विषय विशेषज्ञों से तकनीकी सहायता</u> :- नाले से आ रहे बदबूदार गैसों के उपचार एवं अन्य प्रदूषण भार को कम करने के लिये सैन्टर फॉर वाटर पीस न्यास, गाजियाबाद के विषय विशेषज्ञो की टीम की नियमित सलाह ली जा रही है। उनकी टीम द्वारा नाले का भौतिक निरीक्षण कर जी0आई0एस0 मैप बनाया गया है और उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि समस्या के मुख्य कारण पानी में एनएरोबिक सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थो का निपटान किया जाना है, जिसके फलस्वरूप हाईड्रोजन सल्फाईड/अन्य गैस रिलीज हो रही है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र से आने वाला रसायनयुक्त पानी कई अलग-अलग तरह की वदवू पैदा कर रहे है, जिसकी जॉच चल रही है।

4- वैज्ञानिको की सलाहनुसार पायलट परियोजना के रूप में एनएरोब बैक्टेरिया को मारने व बदबू कम करने के लिये टैंकर द्वारा नियमित रूप से 01 पीपीएम सोडियम हाईपोक्लोराईड की डोज़िंग की जा रही है, जिससे बदबू कम करने में आंशिक सफलता मिल रही है। इसके अतिरिक्त एनएरोविक वातावरण को एरोबिक वातावरण में बदलने के लिये पायलट परियोजना के रूप में 01 एम0एल0डी0 क्षमता का सोलर एयरेटर की स्थापना का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ 01 पी0पी0एम0 ओजोन गैस अनउपचारित जल के उपचार हेतु नियमित रूप से प्रवाह करने की योजना पर कार्य भी सेन्टर फोर वाटरपीस न्यास के सहयोग से प्रगति पर है। उक्त योजना के मूल्यांकन उपरांत इसे पूरे नाले पर अपनाने की योजना है

5- स्वास्थ्य विभाग, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा नियमित रूप से नाले की सिल्ट निकालने का कार्य किया जा रहा है और नाले में बहने वाले तैरते हुये कचरे का भी नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

6- नाले के दोनों ओर जहां भी संभव है, उद्यान विभाग, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा हरित पट्टी का विकास किया जा रहा है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय
(हस्ताक्षर)
महाप्रबन्धक(जल)
गाजियाबाद नगर निगम

<u>पत्रांक व दिनांक तदैवः-</u>

<u>प्रतिलिपिः-</u>
1- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- विधि अधीक्षक, गाजियाबाद नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- पत्रावली/गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक(जल)

साहिबाबाद नाला उपचार कार्ययोजना

(NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.)
Original Application No. 274/2022
Prem Aggarwal & Ors. Applicants
Versus
Govt. of NCT of Delhi & Ors.
Date of Order: 15.02.2024

Order Dated -15.02.2024

Regarding remedial measures already taken and remedial measures proposed to be taken with budgetary provisions and timelines and specifically mentioning whether the requisite remedial measures as mandated by the statutory provisions/environmental norms regarding disposal of solid waste, treatment and disposal of sewage and industrial effluents, dredging, cleaning and trapping of the drains, afforestation on the embankments and identification and removal of encroachments have been taken by them.

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
१	74 एम0एल0डी0 पानी का एस0बी0आर0 तकनीक से उपचार	साहिबाबाद नाले का कुल प्रवाह लगभग 90 एम0एल0डी0 है। उक्त जलउपचार हेतु इन्दिरापुरम में 74 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 द्वारा अपनी पूरी अधिकतम क्षमता पर नियमित रूप से संचालित है। उक्त के रख-रखाव का दैनिक रजिस्टर वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चेन्नई द्वारा किया जा रहा है, जिसकी नियमित जॉच नगर निगम द्वारा की जा रही है।	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	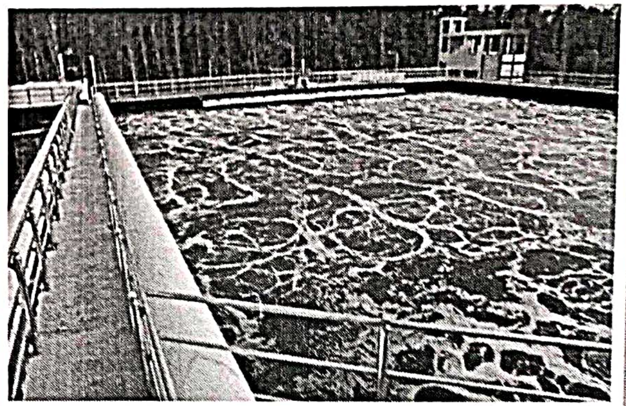

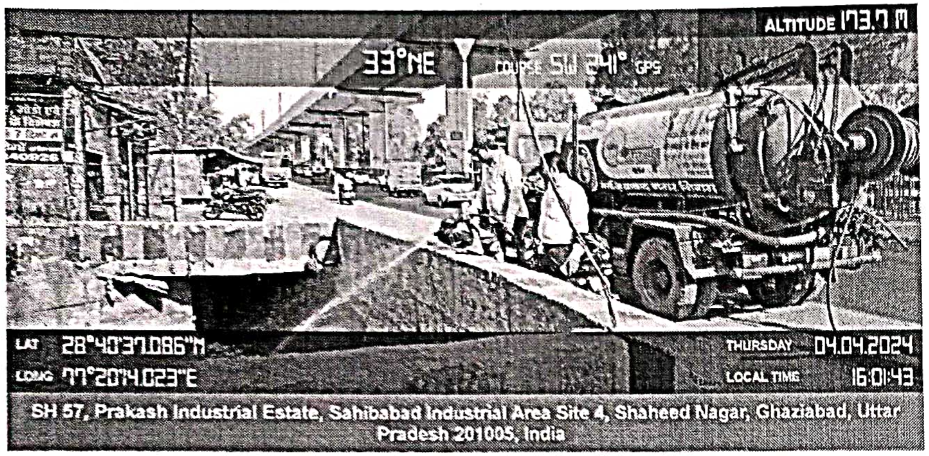

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
2.	अनुपचारित जल से आ रही बदबूदार गैसों का उपचार हेतु क्लोरीनेशन	पायलेट परियोजना के रूप में एनएरोब बैक्टेरिया को मारने व बदबू कम करने के लिये टैंकर द्वारा नियमित रूप से 01 पीपीएम सोडियम हाईपोक्लोराईड की डोज़िंग की जा रही है, जिससे बदबू कम करने में आंशिक सफलता मिल रही है।	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	

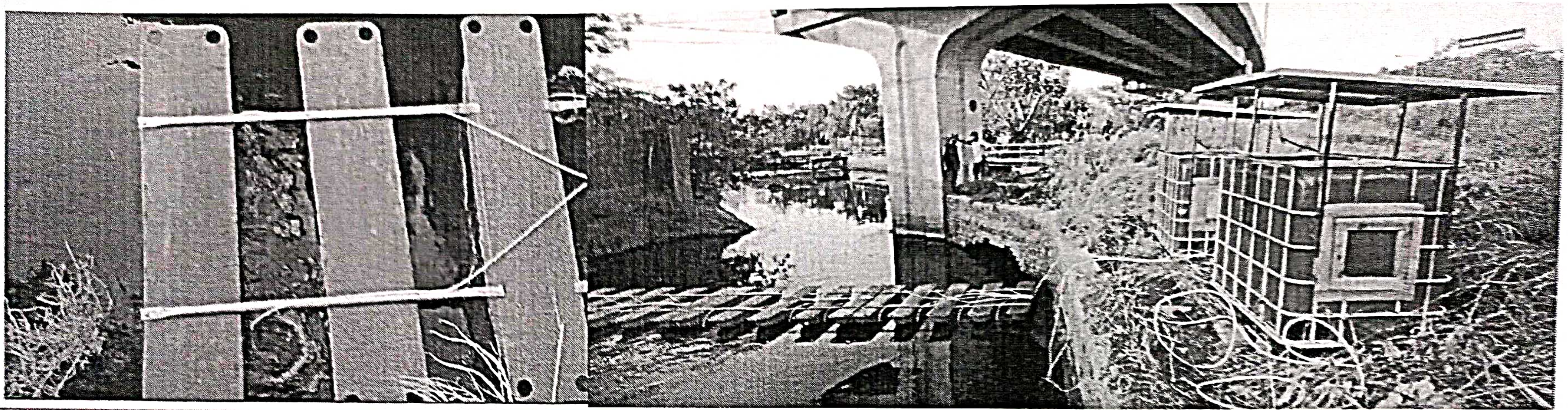

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
3.	अनुपचारित जल से में प्रदूषण भार कम करने व् ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास	पायलट परियोंजना नंबर ०२ के रूप में 01 एम0एल0डी0 क्षमता का सॉलर एयरेटर की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ 01 पी0पी0एम0 ओजोन गैस अनउपचारित जल के उपचार हेतु नियमित रूप से प्रवाह करने की योजना पर भी कार्य सेन्टर फोर वाटरपीस न्यास के सहयोग से प्रगति पर है। उक्त योजना के मूल्यांकन उपरांत इसे पूरे नाले पर अपनाने की योजना है	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
4.	नाले की साफ़ सफाई एवं डीसिल्टिंग कार्य	नगर निगम द्वारा नियमित रूप से नाले की सिल्ट निकालने का कार्य किया जा रहा है और नाले में बहने वाले तैरते हुये कचरे का भी नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	

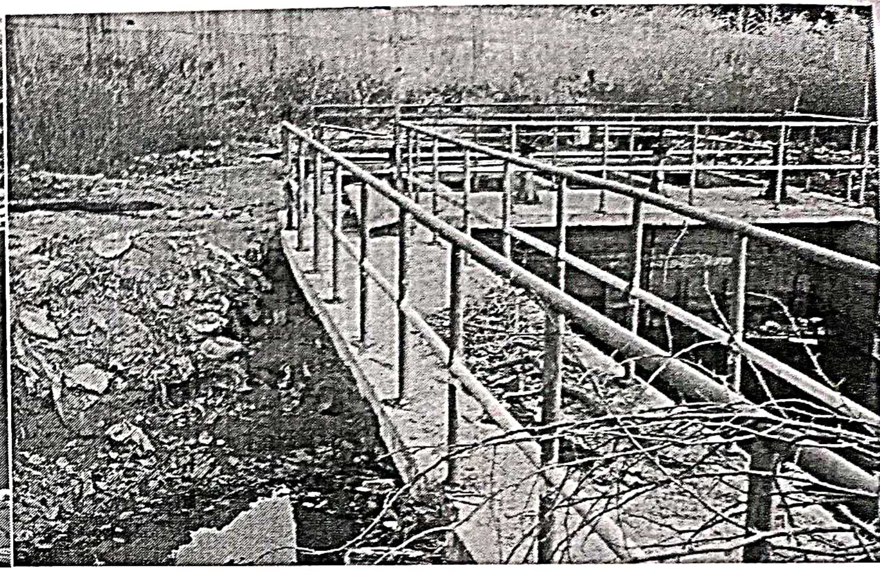

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
5.	नाले के दोनों और अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही	नगर निगम संपत्ति विभाग द्वारा नियमित रूप से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	

जय माता दी

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : ...43.../OA-274/2022/2024 दिनांक 09/04/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: **Response/Status report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to order passed on 15.02.2024 by Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors.**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the response/status report before Hon'ble National Green Tribunal in compliance to order dated 15.02.2024 in OA No-274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors. is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: **Response/Status report.**

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 274 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Prem Aggarwal ...Applicant

Versus

Govt. of NCT Delhi & Ors. ...Respondent(s)

INDEX

Sr. No.	Description	Pg. No.
1.	Uttar Pradesh Pollution Control Board's Response in Response/Status report of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 15.02.2024 in OA 274/2022	01-04
2.	**Annexure-I** – Closure of M/s Sidra Washing, Plot no. 8 Khasra No. 96/3 Arya Nagar Industrial Area Loni Ghaziabad.	05-06
3.	**Annexure-II** – Revocation of show cause notice along with imposition of Environment compensation of M/s Jai Maa Garments, A-16, Roop Nagar Industrial Area Loni, Ghaziabad.	07-
4.	**Annexure-III** – Revocation of show cause notice along with imposition of Environment compensation of M/s Lakshya Enterprises (Old Name Shikha Enterprises)–A-44, Roop Nagar Industrial area Loni, Ghaziabad.	08
5.	**Annexure-IV** – Closure order of M/s Nisha Print, A-11, Roop Nagar Industrial area Loni, Ghaziabad.	09-10
6.	**Annexure-V** – Show Cause Notice of M/s. M.A. Garments, Plot No-20/6/21, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	11-12
7.	**Annexure-VI** – Show Cause Notice of M/s. M/s. Shree Mahaveer Enterprises, Plot No-28/1/15, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	13-14

FILED BY

(Vikas Mishra)
Regional Officer
UPPCB, Ghaziabad

OF INDIA

Response/Status report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to order passed on 15.02.2024 by Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors.

Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors. has passed order on dated 15.02.2024 and directed following:-

"…………..6.Learned Counsel for respondent's no. 1, 2, 4 to 9 and UPPCB and the officers present before this Tribunal seek time for filing of detailed responses/status reports and apprising this Tribunal about the progress made.

8. Minutes of the Meeting and status reports by all the respondents be filed within three weeks thereafter by email at judicial-ngt@gov.in. preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF……….."

In the compliance of the above aforesaid mentioned order officials from UPPCB conducted survey of Sahibabad Drain, Indirapuri Drain & Banthala Drain. Detailed report is as follows:

Sahibabad Drain: -

Sahibabad drain carries untreated domestic effluent of residential areas Bhopura, Gagan Vihar, Shalimar garden, Garima garden, Janakpuri, Pasaunda, rahjendra Nagar Residential area, Village Sahibabad, Village Jhandapur, village Karkar mandan, Village Maharajpur, Chander Nagar, Surya Nagar, Kaushambi & Vaishali etc. and carries treated effluent of industries located in Sahibabad Industrial Area and Rajendra Nagar Industrial Area. Sahibabad drain is partially tapped for treatment near NH-24 in 74MLD STP at Indirapuram before entering in Delhi at Ghazipur. Rest effluent of Sahibabad drain meets in Shahdara Drain and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Presently Sahibabad Industrial area is being used for Industrial, Commercial as well as institutional activities. As per office records, there are 113 water polluting industries situated / operated in the catchment area of the Sahibabad Drain.

Officials of UPPCB collected samples from various points of Sahibabad Drain during the survey on dated 27.03.2024. The analysis results of drain sample collected from various points as shown

below:-

S.No	Sampling point	pH	Color	Odour	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L
1.	Sahibabad Village Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.94	Turbid	Faint	104.0	148.0	60.0
2.	Rapid Rail Metro Station, Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.76	Turbid	Unpleasant	95.0	200.0	88.0
3.	Surya Nagar Bridge	6.52	Turbid	Faint	98.0	252.0	58.0
4.	Near Country Inn Hotel Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.48	Turbid	Faint	96.0	264.0	70.0
5.	Sahibabad Drain Tapping Point	7.22	Blackish	Unpleasant	90.0	233.0	86.0

- The above analysis results of the drain's sample collected from various location indicates the characteristics of untreated domestic effluent

Indirapuri Drain and banthla drain

Indirapuri drain carries untreated domestic effluent of residential areas ikram nagar, Dehroti khurd, Balram Nagar, Indirapuri Colony etc and carries treated effluent of industries located in Roop nagar Industrial Area, Shyam Industrial area, Arya Nagar Industrial area and Rural Industrial area. Indirapuri drain meets in Shahdara Drain near Jauharipur and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Banthala drain is mainly carries untreated domestic effluent of residential areas Behta Hajipur, Gulab Vatika and Banthla etc. No industrial estate is located in the catchment of this drain. Banthla drain meets in Shahdara Drain near near Ganga Vihar and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Officials of UPPCB have taken samples from various point of Indirapuri and Banthla Drain during the survey. The analysis results of drains sample collected from various points as shown below:-

Sl. No	Sampling point	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L	Total Coliform MPN/100 ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1	Indirapuri	20.03.2024	7.22	Turbid	36.0	110.0	128.0	3300000	2700000
2	Banthala	20.03.2024	6.72	Turbid	38.0	126.0	144.0	3500000	2400000

- The above analysis results of the drain's sample collected from various location indicates the characteristics of untreated domestic effluent.

Action taken: -

The industries situated in the catchment area of these drains are being regularly monitored and accordingly, action is being taken under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 against the non-complying industries. Thus, it is being ensured that industries should discharge their effluent after being properly treated as per the Environmental Norms and actions are also being taken against the defaulting industries. Details of latest action taken are given below:-

Sr. No.	Name & Address	Action Taken
1	M/s Sidra Washing Plot-8, Khasra No. 96/3 Arya Nagar Industrial Area Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued closure order on dated 01.01.2024 under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with imposition of Environmental compensation of Rs.11,55,000/-. **(Annexure-I)**
2	M/s Jai Maa Garments A-16, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Show Cause Notice revoked along with imposition of Environmental compensation of Rs.11,25,000/- **(Annexure-II)**
3	M/s. Laskhya Enterprises (Old Name Sikha Enterprises), A-44, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Show Cause Notice revoked along with imposition of Environmental compensation of Rs.11,25,000/- **(Annexure-III)**
4	M/s. Nisha Prints, A-11, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad	UPPCB issued closure order on dated 01.01.2024 under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with Environmental compensation of Rs.11,40,000/-. **(Annexure-IV)**
5	M/s. M.A. Garments, Plot No-20/6/21, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry **(Annexure-V)**
6	M/s. Shree Mahaveer Enterprises, Plot No-28/1/15, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry **(Annexure-VI)**

7	M/s Kunwar Singh Jeans Dyeing, Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.
8	M/s Suleman Jeans Dyeing (Unit-I), Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.
9	M/s Suleman Jeans Dyeing (Unit-II), Plot No-96/3, Arya Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.
10	M/s Faisal Washing, Plot No-B-23, Roop Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.
11	M/s Sujit Sadh Dyeing, B-120, Roop Nagar, Industrial Area, Loni, Ghaziabad.	Action u/s 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 is under process.

(Navneet Kumar)
AEE
U.P.P.C.B
Ghaziabad

(Kunwar Santosh Kumar)
AEE
U.P.P.C.B
Ghaziabad

DM

Annexure- I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H05062 / C-1 / जल / जी–306 / बन्दी आदेश / 2023 Date: 01-01-24

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स सिदरा वाशिंग,
प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96 / 3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद। 9654695146

यह कि मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96 / 3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि कच्चे माल के रूप में गारमेन्ट, डाइज, कलर / केमिकल, कास्टिक सोडा आदि का प्रयोग कर डाइंग एवं वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96 / 3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या एच–01872 / सी–1 / जल / जी–306 / का0ब0नो0 / 2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उद्योग इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 19.07.2021 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,00,000 / –(रू0 पांच लाख मात्र) को बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 का संचालन सुचारू रूप से होता हुआ नहीं पाया गया। ई0टी0पी0 में केमिकल डोजिंग प्रक्रिया संचालित नहीं पायी गयी तथा ई0टी0पी0 में टरसरी ट्रीटमेन्ट व्यवस्था यथा सैण्ड फिल्टर तथा एक्टीवेटिड कार्बन फिल्टर संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा जल सहमति में इंगित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये रू0 11,55,000 / – (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी हैं।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जायें।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते हैः–

1. यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96 / 3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96 / 3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

......2/–

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

(5)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0–8, खसरा नं0–96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना एवं निर्गत निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर रू0 11,55,000/– (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि रू0 11,55,000/– (रू0 ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में 01 माह के अन्दर जमा कराया जाये। उक्त के अतिरिक्त उद्योग द्वारा पूर्व में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख मात्र) को बोर्ड के सम्बन्धित खाते में 15 दिन के अन्दर उपरोक्त खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

<u>सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।</u>

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

Annexure- II

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H05642/C-1/जी–718/का0व0नो0–निक्षेप/2023 Date: 12/01/24.

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स जय मॉं गारमेण्ट्स,
ए–16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

विषयः–उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.10.2023 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–01869/सी–1/जी–716/ का0व0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या एवम् संस्तुति दिनांक 26.12.2023 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत पत्र संख्या एच–01869/सी–1/जी–716/ का0व0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के साथ निक्षेपित किया जाता है:–

1. उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये–11,25,000/–(रू0 ग्यारह लाख पचीस हजार मात्र) को कारण बताओ नोटिस के निक्षेपण तिथि से 01 माह के अन्दर बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस पुनः प्रभावी हो जायेगा।
2. इकाई द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार से किया जाये कि शुद्धिकृत हो रहे उत्प्रवाह समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
3. इकाई द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू संचालन एवं रख रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
4. ई0टी0पी0 आउटलेट की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से भुगतान के आधार पर विश्लेषण कराकर आख्या प्रत्येक तिमाही राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. उद्योग के विरूद्ध अन्य प्रकरणों पर आधारित प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. टैक्सटाइल चार्टर के अनुपालन के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 35390/सी–7/नोडल टैक्सटाइल–102/19 दिनांक 01.05.2019 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 248/2023 वरूण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुये आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

Annexure–III

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H05641 /C-1/जी–718/का0ब0नो0–निक्षेप/2023 **Date:** 12/01/24

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज),
ए–44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, 9911241739
गाजियाबाद।

विषयः–उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.10.2023 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–01870/सी–1/जी–718/का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या एवम् संस्तुति दिनांक 26.12.2023 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत पत्र संख्या एच–01870/सी–1/जी–718/ का0ब0नो0/ 2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के साथ निक्षेपित किया जाता है:–

1. उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये–11,25,000/–(रू0 ग्यारह लाख पचीस हजार मात्र) को कारण बताओ नोटिस के निक्षेपण तिथि से 01 माह के अन्दर बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस पुनः प्रभावी हो जायेगा।
2. इकाई द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार से किया जाये कि शुद्धिकृत हो रहे उत्प्रवाह समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
3. इकाई द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू संचालन एवं रख रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
4. ई0टी0पी0 आउटलेट की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से भुगतान के आधार पर विश्लेषण कराकर आख्या प्रत्येक तिमाही राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. उद्योग के विरूद्ध अन्य प्रकरणों पर आधारित प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. टैक्सटाइल चार्टर के अनुपालन के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 35390/सी–7/नोडल टैक्सटाइल–102/19 दिनांक 01.05.2019 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 248/2023 वरूण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुये आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com) website www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com) website: www

(8)

Scanned with OKEN Scanner

Annexure- IV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H.05073/C-1/जल/जी–717/बन्दी आदेश/2023 Date: 01-1-24

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स निशा प्रिन्ट,
ए–11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए–11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि कच्चे माल के रूप में **Grey Jeans, Fabric** आदि का प्रयोग कर डाइंग एवं वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए–11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या एच–01871/सी–1/जल/जी–717/का0ब0नो0/2023 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 का संचालन सुचारू रूप से होता हुआ नहीं पाया गया। ई0टी0पी0 में केमिकल डोजिंग प्रक्रिया संचालित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार समस्त प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा जल सहमति में इंगित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये रू0 11,40,000/– (रू0 ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:–

1. यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए–11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए–11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

......2/–

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा पर्यावरण अधिनियमों की अवहेलना एवं निर्गत निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर रू0 11,40,000/- (रू0 ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि रू0 11,40,000/- (रू0 ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड-UBIN0570150 में 01 माह के अन्दर जमा कराया जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

Annexure-V

66

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 4018773 /C-1/जी–180/का0ब0नो0/2023 Date: 12.10.23

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स,
प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 26.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यो न इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जायें?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0–20/6/21, साईट–4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

.........2/–

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

(11)

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपलान न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 58313/सी-1/जल-180/बन्दी आदेश-निलम्बन/2021 दिनांक 02.02.21 का अनुपलान तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपिः-

1. ज़िलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

Annexure-VI

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 410/8774 /C-1/जी-540/का0ब0नो0/2023 Date: 12-10-23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज,
प्लॉट नं0-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड ब्लीचिंग ऑफ रेडिमेड गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 26.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

.........2/-

टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपलान न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 84375/सी-1/जल/जी-540/का0ब0नो0-निक्षेप/2022 दिनांक 18.11.2022 का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, बडौत, बागपत

पत्रांकः– 87 /सि0ख0ब0बा0/एन0जी0टी0/ दिनांकः 18/4/2024

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 274/2022 प्रेम अग्रवाल व अन्य बनाम एन0जी0टी0 सरकार दिल्ली व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांकः– 1050/सिनिखगा/एन0जी0टी0, दिनांकः 10.04.2024

<u>अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।</u>

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 274/2022 प्रेम अग्रवाल व अन्य बनाम एन0जी0टी0 सरकार दिल्ली व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 16.10.2023 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको बन्थला स्केप को अपने नियन्त्रणाधीन होने से अवगत कराया गया था। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य पूर्वी यमुना नहर के किमी0 199.650 पर दायें किनारे से एक स्केप निकलती है। जोकि बन्थला स्केप के नाम से है, इसकी कुल लम्बाई 6.200 किमी0 है तथा वर्तमान में ज़नपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अन्तर्गत आबादी क्षेत्र में आने के कारण पिछले काफी वर्षो से बन्द है। इस स्केप का नाले के रूप में उपयोग नही किया जा रहा है।

आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, बडौत, बागपत।